

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:- एफ.8 (07)आ.प्र. एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2023/

जयपुर, दिनांक

नवीनीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 20/2025-26

विभागीय समसंख्यक स्वीकृति क्रमांक 2866-72 दिनांक 11.08.2023 द्वारा मानसून वर्ष 2023-24 में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध/नहर की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत हेतु कुल 06 कार्यों हेतु राशि रुपये 10.50 लाख की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध वर्ष 2023-24 में ही करवाये गये उन कार्यों की जिसके बिल जिला कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये गये थे परन्तु बिल पास न होने एवं पास बिल वित्त विभाग स्तर से ईसीएस न होने से वंचित रहने के कारण लम्बित बिलों का भुगतान वर्ष 2025-26 में किये जाने हेतु जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा पत्र क्रमांक 585 दिनांक 07.11.2025 द्वारा भिजवाई गई सूची अनुसार कुल 03 बांध/नहर कार्यों हेतु राशि रुपये 3.80 लाख की वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपयोग हेतु नवीनीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।
इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित बजट मद से किया जायेगा :-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ़, चक्रवात आदि।

122- खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02)- बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

(01)- (बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता)

21-अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस)

(केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत)

(राज्य निधि 25

प्रतिशत)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही हैं:-

1. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय पूर्व में जारी स्वीकृति में अंकित शर्तों के अधीन किया जावेगा।
1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किए जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावे।
4. ऑनलाईन मांग पत्र के साथ यह प्रमाणित करे कि यह कार्य वर्ष 2023-24 के स्वीकृत है तथा निर्धारित अवधि में गत वित्तीय वर्ष सम्पादित किये जा चुके हैं, 31 मार्च 2024 से पूर्व का कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र सलग्न करना अनिवार्य है।

(शैफाली कुशवाहा)

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.12.05 10:41:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref

1871968

eSign 1.0

R
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
1. निजी सचिव, प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, सिरोंही।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को बजट का आवंटन किये जाने हेतु।
5. कोष कार्यालय, सिरोंही।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Shefali Kushwaha
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.12.05 10:41:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18719685
eSign 1.0

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, रेवदर

क्रमांक / 2023-24 / 313

दिनांक :- 04.03.2023

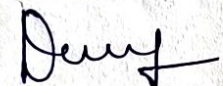
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

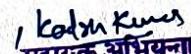
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ.8(07)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ/2023/2866-72 दिनांक 11.08.2023 के क्रम में श्रीमान जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, सिरोंही के पत्रांक प. 14(12)()आ.प्र.एवं सहा./बिपरजॉय/बांध/नहर/2023/564 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुपालना में इस उपखण्ड कार्यालय द्वारा निम्न नहरों के मरम्मत कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	आवंटित राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)
1	टोकरा बांध की नहर मरम्मत कार्य	1.49	1.45

अतः उक्त नहरों के मरम्मत कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं नहरों के मरम्मत कार्य एस.डी.आर.एफ. नोम्स अनुसार ही करवाये गये एवं कार्य संतोषजनक एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करवाया गया है।


ज.स.न.


सहायक अभियन्ता,
जल संसाधन उपखण्ड रेवदर


सहायक अभियन्ता
स. नि. वि. उपखण्ड रेवदर


अधिशायी अभियन्ता,
जल संसाधन खण्ड सिरोंही



कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, सिरोही

क्रमांक / 2024 / 26

दिनांक :- 22/02/2024

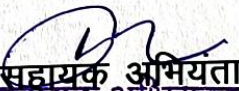
कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

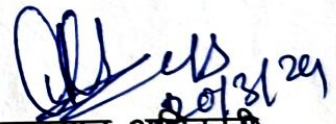
राजस्थान सरकार आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ8(07) आ.प्र.एवं सहा/प्रस्ताव/बाढ/2023/2866-72 दिनांक 01.08.2023 के क्रम में जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोही के पत्र क्रमांक प.14(12) आ.प्र. एवं सहा./बिपरजॉय/बांध/नहर/2023/564 दिनांक 14.09.2023 के द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की अनुपालना में इस उपखण्ड कार्यालय द्वारा निम्न नहरों के मरम्मत कार्य पूर्ण करवा दिये गये हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आंवटित राशि(लाखों में)	व्यय राशि(लाखों में)
1	धांता बांध की नहर का मरम्मत कार्य	1.50	0.99
2	पोईदरा बांध की नहर का मरम्मत कार्य	1.49	1.36
योग:-		3.00	2.35

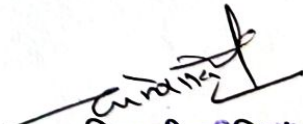
अतः उक्त नहरों के मरम्मत कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं नहरों के मरम्मत कार्य एस.डी.आर.एफ. नोम्स अनुसार ही करवाये गये एवं कार्य संतोषजनक है।


सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि.उपखण्ड, सिरोही


सहायक अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड सिरोही
सिरोही (राजस्थान)


उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राजस्थान)


विकास अधिकारी
पंचसत समिति, सिरोही


अधिसापी अभियन्ता
जल संसाधन उपखण्ड सिरोही
सिरोही (राजस्थान)



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोंही

क्रमांक: प.14(12)()आ.प्र.एवं सहा./बाढ/नहर मरम्मत/2024/974

दिनांक 9-10-2024

आदेश

मानसून वर्ष 2023 में बिपरजॉय के प्रभाव से हुई अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ से क्षतिग्रस्त बांधों एवं नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक 2866-72 दिनांक 11.08.2023 के क्रम में इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 532 दिनांक 29.08.2023 एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 564 दिनांक 14.09.2023 की पालना में कार्यकारी संस्था अधिशासी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड, सिरोंही द्वारा करवाये गये निम्नलिखित बांधों एवं नहरों मरम्मत कार्यों के सन्दर्भ में अधिशासी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड, सिरोंही के पत्रांक 435 दिनांक 13.02.2024 द्वारा प्रस्तुत पारित शुदा बिलों एवं संलग्न प्रमाण-पत्रों के आधार पर निम्नानुसार कॉलम संख्या 06 में अंकित राशि अधोलिखित शर्तों के अधीन संबंधित फर्म/ठेकेदार को भुगतान करने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है -

कार्यकारी संस्था:- अधिशासी अभियन्ता, जल ससाधन खण्ड, सिरोंही

क्र.सं.	कार्य का नाम	फर्म ठेकेदार का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)	शुद्ध भुगतान योग्य राशि (रूपये में)	बिल राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	पोईदरा बांध की नहर मरम्मत कार्य	मेसर्स एम.के. कन्स्ट्रक्शन सेलवाडा रेवदर	1.50	112828	135773
		योग:-	1.50	112828	135773
2	धान्ता बांध की नहर मरम्मत कार्य	मेसर्स अंजनी माता कन्स्ट्रक्शन रेबारीवास सरूपगंज, सिरोंही	1.50	82555	99343
		योग:-	1.50	82555	99343
3	टोकरा बांध की नहर मरम्मत कार्य	मेसर्स श्री सुन्धा कन्स्ट्रक्शन बुरारीखेडा उडवारिया	1.50	120482	144984
		योग:-	1.50	120482	144984
		महायोग:-	4.50	315865	380100

उक्त राशि का व्यय वर्ष 2024-25 में निम्न लेखा मद में से किया जायेगा ।

2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

- 02- बाढ चक्रवात आदि ।
- 122- सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
- (02)- बाढ से प्रभावित सरकारी खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
- [01]- [बाढ से प्रभावित सरकारी खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]
- 21- अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि 285075) (राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रुपये 95025)

उपरोक्त भुगतान स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी-

- 1-कॉलम संख्या 06 में अंकित भुगतान योग्य राशि में से Securit Deposit @ 10%, Income Tax @2% GST @ 2%, Royalty @1.50, Labour Cess @1% ,DMFT Royalty का @10% की नियमानुसार कटौति करते हुये शेष राशि का भुगतान संवेदक/ठेकेदार को किया जायेगा ।
- 2- उक्त स्वीकृति संबंधित कार्यकारी एजेन्सी के सक्षम तकनीकी अधिकारी के द्वारा पारित शुदा भुगतान योग्य राशि के आधार पर जारी की गई है ।
- 3- उक्त सभी भुगतान अंकेक्षण/जांच में अस्वीकृत योग्य पाये जाने पर किये गये भुगतान की वसूली के अधीन होगी एवं उसके पुनर्भरण का दायित्व कार्यकारी संस्था का रहेगा ।
- 4- उक्त कार्यों की बोली प्रक्रिया एवं कार्य संबंधी सभी दस्तावेज एवं पत्रावली आदि अभिलेख कार्यकारी संस्था के पास हैं, जो अंकेक्षण एवं किसी भी जांच के समय कार्यकारी संस्था द्वारा वांछित अभिलेख उपलब्ध करवाया जायेगा ।

RajKaj Ref
10742060



Signature valid
(अल्पा चौधरी)

Digital Signature of Alpa Choudhary
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2024.10.09 16:48:05 IST
Reason: Approved